न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– दावा संख्या 18/2019

निर्णय दिनांक :– 27.11.19

1. श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व. बृजलाल जाति पारीक निवासी गोगासर त. रतनगढ
2. रामोतार पुत्र स्व. बृजलाल जाति पारीक निवासी गोगासर त. रतनगढ जि. चूरू

... वादीगण

बनाम

1. श्रवणकुमार पुत्र हनुमान जाति पारीक निवासी गोगासर त. रतनगढ जिला चूरू
2. श्रीमती दुर्गा पुत्री हनुमान जाति पारीक निवासी ग्राम गोगासर त. रतनगढ
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रतनगढ़।

...प्रतिवादीगण

4. बिशनलाल पुत्र स्व. बृजलाल जाति पारीक निवासी गोगासर त. रतनगढ
5. श्रीमती शारदा पुत्री स्व. बृजलाल पत्नी प्रकाश जाति पारीक नि. कालू त. लूणकरणसर जिला बीकानेर

...गौण प्रति.गण

उपस्थितः–

1. श्री सुमेरसिंह अभि. वादीगण
2. श्री धर्मेन्द्रसिंह अभि. प्रति. सं. 1
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन,घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती एवं विभाजन हेतु दिनांक 11.3.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

27.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

2. दावा वादिनी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोगासर तहसील रतनगढ की रोही में वादी एवं प्रतिवादी गण के पूर्वज स्व. हनुमान जी के समय की खातेदारी भूमि ख.नं. 176 तादादी 2.4408 हैक्टेयर, ख.नं. 213 तादादी 4.0595 हैक्टेयर, व ख.नं. 290/263 तादादी 6.3485 हैक्टेयर कुल तादादी 12.8488 हैक्टेयर व ग्राम हंसासर तहसील रतनगढ की रोही में हनुमानजी की खातेदारी भूमि ख.नं. 261 तादादी 6.0703 हैक्टेयर, ख.नं. 291 तादादी 1.0749 हैक्टेयर, कुल तादादी 7.1452 हैक्टेयर भूमि स्थित रही है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है।

3. हनुमानजी के वारिसान में उसके दो पुत्र बृजलाल एवं श्रवणकुमार तथा एक पुत्री दुर्गा हुई। हनुमानजी की पत्नी का उनके जीवनकाल में ही देहान्त हो गया था। वादगत भूमि की संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं. एक व दो का 2/3 हिस्सा व बृजलाल का 1/3 हिस्सा है। वादीगण व गौणप्रतिवादीगण बृजलाल के वारिसान है। बृजलाल आज से करीब 40 साल पहले अचानक घर से निकल गये जिसका आजतक कोई अता पता नही है। बृजलाल के लापता होने के बाद गत 40 वर्षो में उसके जीवित होने के बारे में किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा नही सुना गया है। कानूनन धारा 108 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में जीवित होने के बारे में नही सुना जाता है तो उसकी मृत्यू की उपधारणा का प्रावधान है। बृजलाल के संबध में गत 40 साल से नही सुना गया है। इसलिए उसकी कानूनन मृत्यु होने की उपधारणा किये जाने योग्य है। वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण 1/3 हिस्सा वादगत भूमि में है। बृजलाल का नाम रेकार्ड से कानूनी मृत्यू हो जाने से हटाये जाने योग्य है।

4. वादीगण व गौणप्रतिवादीगण का वादगत भूमि की संयुक्त खातेदारी में अपना 1/3 हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण ने उपरोक्त दुरूस्ती व विभाजन खाता हेतु दिनांक 25.2.2019 को निवेदन किया तो वो साफ इन्कार हो गये। यही दावे का कारण है। वादगत भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि होने से वाद का आधार प्राप्त है। वादगत भूमि रोही ग्राम गोगासर व हंसासर तहसील रतनगढ में स्थित है, जिसका श्रवणाधिकार व

27.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

क्षैत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। गौण प्रतिवादीगण बृजलाल के पुत्र पुत्री होने से गौण प्रतिवादीगण बनाया गया है। दावा गौण प्रतिवादीगण के हितों के विपरीत नही है।

5. अतः घोषित किया जावे कि वादगत भूमि ख.नं. 176, 213 व 290/263 कुल तादादी 12.8488 हैक्टैयर रोही ग्राम गोगासर व ख.नं. 261, 291 कुल तादादी 7.1452 हैक्टयेर भूमि रोही ग्राम हंसासर में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है और बृजलाल का नाम हटाये जाने योग्य है। वादगत भूमि की संयुक्त खातेदारी से वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के 1/3 हिस्सा को मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजित किया जाकर खाता व लगान अलग कायम किया जावे।

6. प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 23.7.2019 को जबाबदावा मय कोससुट पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से दिनांक 28.3.2019 को व प्रतिवादी सं. 4 की ओर से दिनांक 4.6.2019 को ईकबालदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से कोई राजहित नही होना जाहिर किया गया। प्रतिवादी सं. 5 बावजूद रजिस्ट्री तामील के उपस्थित नही होने पर ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी रामौतार व नकल जमाबन्दी ख.नं. 176, 213, 290/263 कुल तादादी 12.8488 हैक्टेयर रोही ग्राम गोगासर संवत 2071–75 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी ख.नं. 261, 291 कुल तादादी 7.1452 हैक्टेयर रोही ग्राम हंसासर संवत 2073–76 प्रदर्श 2, ग्राम पंचायत गोगासर का प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रदर्श–1 व 2 में अकिंत कृषि भूमि में प्रतिवादीनी सं. 2 दुर्गा का 1/3 हिस्सा, बृजलाल का 1/3 हिस्सा व श्रवणकुमार प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादीगण का कथन है कि बृजलाल करीब 40 वर्ष पहले घर से

7.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

निकल गये जिसका कोई अता पता नही है। साक्ष्य अधिनिमय की धारा 108 के अनुसार 7 सालों से जीवित होने के बारे में नही सुना जाता है, उसकी मृत्यू की उपधारणा की जाती है। इसलिए बृजलाल को मृत माना जाकर वादीगण व गौण प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 जो कि उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान है, को वादगत खसरों की भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। बृजलाल का नाम रेकार्ड से हटाया जावे।

यह सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में, "यदि किसी व्यक्ति के 7 वर्ष में जीवित होने का नही सुना जाता है, तो यह उपधारणा करने का प्रावधान है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है," परन्तु इसे दस्तावेजी साक्ष्य या तथ्यों से साबित करना होगा। हस्तगत प्रकरण में वादीगण की ओर से 40 वर्षो से बृजलाल को लापता होना बताया गया है तथा इसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत गोगासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.2.2019 प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 30 वर्षो से बृजमोहन के लापता होने का अकंन किया गया है। वादीगण द्वारा बृजलाल को 40 वर्षो से लापता बताया जा रहा है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 30 वर्षो से लापता होना अकिंत किया गया है। दोनो में 10 वर्षो का अन्तर है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण हाल ही में जारी किया गया है। वादीगण द्वारा लापता होने के बाद कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई हो या कोई तलाश करने का प्रयास, गुमशुदा होने पर अखबार में साया करने से जानकारी आदि बावत कार्यवाही की हो, ऐसा तथ्यपरक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे कि उसके 07 वर्ष पूर्व से लापता होने की पुष्टि होती हो। अतः दावा वादीगण खारिज योग्य है।

27.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

9. प्रतिवादी संख्या 01 श्रवणकुमार की ओर से अपने प्रतिदावा के पक्ष में कथन किया गया है कि प्रतिवादीनी सं. 2 दुर्गा द्वारा अपना 1/3 हिस्सा दोनो भाईयों के हक में छोड़ दिया गया है। इस प्रकार वादगत भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा कानूनन बनता है। इसलिए प्रतिवादी सं. 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग कायम किया जावे। राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी सं. 2

Scanned by CamScanner

वादगत भूमि में 1/3 हिस्सा की संयुक्त खातेदार है। उसके हिस्से की भूमि के परित्याग बाबत कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ है। विधिवत परित्याग पत्र पजिंबद्व करवाये बिना प्रतिवादी वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी नही है। अतः प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिदावा खारिज योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 श्रवणकुमार बाबत विभाजन,घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 आर.टी.एक्ट 1955 वादगत भूमि ख.नं. 176, 213 व 290/263 कुल तादादी 12.8488 हैक्टैयर रोही ग्राम गोगासर व ख.नं. 261 व 291 कुल तादादी 7.1452 हैक्टयेर भूमि ग्राम हंसासर तहसील रतनगढ खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.11.19 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

27.11.19
(डॉ.गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.30 16:18:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: